प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक: 07 अक्टूबर, 2022

विषय: 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाली प्रक्रिया का सरलीकरण ।

महोदय,

प्रदेश में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019/ बी-2-615/दस-2019, दिनाँक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा नीति निर्धारित की गयी ।

2- उक्त शासनादेश में निर्धारित व्यवस्थानुसार ई.पी.सी. मोड में निर्माण की व्यवस्था के क्रियान्वयन में निम्नलिखित समस्यायें प्रकाश में आईं :-

(1) ई.पी.सी. मोड में कराये जा रहे शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों में यह अनुभव किया गया कि डी.पी.आर. का गठन, टेण्डरिंग व कान्ट्रेक्ट मैनेजमेन्ट आदि में विलम्ब होता है ।

(2) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमे समय लगता है ।

3- उक्त वर्णित स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 13 दिसम्बर, 2019 को अवक्रमित करते हुये ई.पी.सी. मोड में 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

(1) ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत एक ई.पी.सी. मिशन का गठन किया जायेगा जो परियोजना की डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं उसके पूर्ण होने तक उसकी मानिटरिंग के लिये उत्तरदायी होगा । ई.पी.सी. मिशन एक प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.) की तरह कार्य करेगा ।

(2) ई.पी.सी. मिशन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बाडी होगी जो इस सम्बन्ध में नीतिगत मार्गदर्शन के साथ-साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगी। गवर्निंग बाडी में स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के सदस्य होंगे। अस्थायी सदस्य उन प्रशासकीय विभागों के होंगे जिनकी परियोजनायें संचालित होंगी। परियोजना के पूर्ण होने पर अस्थायी सदस्य गवर्निंग बाडी के सदस्य नहीं रह जायेंगे। गवर्निंग बाडी की संरचना निम्नवत् होगी :-

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अध्यक्ष -

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

स्थायी सदस्य -

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, गृह विभाग
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग
6. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग
7. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग
8. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
9. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वन विभाग

अस्थायी सदस्य -

परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, जिनकी परियोजनायें ई.पी.सी. मोड में संचालित हो रही हों।

(3) उक्तवत गठित गवर्निंग बाडी के क्रिया-कलापों का विवरण निम्नवत् होगा:-

1- नीतिगत मार्गदर्शन।
2- परियोजना क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण।
3- परियोजना के concept plan का अनुमोदन।
4- परियोजना की प्रगति की समीक्षा।
5- परियोजना प्रबन्धन।

(4) ई.पी.सी.मिशन के दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति होगी। कार्यकारी समिति की संरचना निम्नवत् होगी:-

अध्यक्ष -

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

स्थायी सदस्य -

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव गृह विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव राजस्व विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी
4. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी
6. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव श्रम विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी
8. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव वन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी

अस्थायी सदस्य -

परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, जिनकी परियोजनायें ई.पी.सी. मोड में संचालित हो रही हों, के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा नामित सचिव से अनिम्न स्तर के अधिकारी।

(5) उक्तवत् गठित कार्यकारी समिति के क्रिया-कलाप निम्नवत् होंगे:-

1. परियोजना हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट का चयन।

2. डी.पी.आर.का गठन।

3. प्रशासकीय विभाग के माध्यम से परियोजना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित कराया जाना।

4. टेण्डर सम्बन्धी प्रक्रिया का निष्पादन।

5. परियोजना के कार्य को प्रारम्भ कराया जाना।

6. परियोजना की प्रगति की समीक्षा।

7. परियोजना के Fund Flow की मानिटरिंग।

डी.पी.आर. के गठन पर आने वाले व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था नियोजन विभाग के बजट में करायी जायेगी।

(6) उक्तवत् गठित कार्यकारी समिति की सहायता के लिये कार्यकारी समिति के अधीन निम्नवत् एक तकनीकी सेल का गठन किया जायेगा :-

1.	भवन विशेषज्ञ मुख्य अभियन्ता	- 01
2.	भवन विशेषज्ञ अधीक्षण अभियन्ता	- 02
3.	भवन विशेषज्ञ अधिशासी अभियन्ता	- 04
4.	वित्त नियन्त्रक/वित्त अधिकारी	- 01
5.	वरिष्ठ सहायक अभियन्ता	- 10

(7) तकनीकी सेल के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे, जिनका चयन प्रतिनियुक्ति के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(8) भविष्य में कार्य की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन का निर्णय नियोजन विभाग द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से लिया जाएगा।

(9) तात्कालिक तौर पर मानव संसाधन के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में इस सेल के द्वारा प्रयोग की जा रही अवस्थापना सुविधाओं को नियोजन विभाग के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। अग्रेतर कार्य की आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाओं का सृजन नियोजन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

(10) ई.पी.सी. मिशन के सम्बन्ध में भविष्य में कोई भी परिवर्तन वित्त विभाग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से नियोजन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

.....4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(11) जनपद स्तर पर परियोजना की मानिटरिंग हेतु जिलाधिकारी के अधीन एक तकनीकी प्रकोष्ठ होगा, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण एवं अन्य अभियन्त्रण विभागों के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी होंगे। तकनीकी प्रकोष्ठ जिला अधिकारी को परियोजना की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्धारित अवधि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(12) परियोजना की गुणवत्ता का नियंत्रण, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाला तकनीकी प्रकोष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट, ई.पी.सी. कान्ट्रेक्टर तथा थर्ड पार्टी आडिट (जो किसी इंजीनियरिंग कालेज द्वारा की जायेगी) द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर लोक निर्माण विभाग के भवन प्रखण्ड (Building Division) के सक्षम अधिकारियों द्वारा 5 प्रतिशत की सीमा तक कार्य का Random Inspection करके अपनी रिपोर्ट सम्बन्धित जिला अधिकारी एवं ई.पी.सी. मिशन को उपलब्ध करायी जाएगी।

(13) डी.पी.आर. का गठन यथासम्भव भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर किया जायेगा।

(14) परियोजना की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त छः माह में कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त 18 माह के अन्दर कार्य को पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेन्ट बुक (eMB) की व्यवस्था लागू की जायेगी।

(16) परियोजना की लागत का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(17) ई.पी.सी. मोड में भवन निर्माण हेतु खुली निविदा आमंत्रित की जायेंगी, जिसमें राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की निर्माण एजेन्सियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की तकनीकी रूप से अर्ह (eligible) निर्माण एजेन्सियाँ प्रतिभाग कर सकेंगी।

(18) उक्तवत् प्रस्तावित व्यवस्था में परियोजना की डी.पी.आर., उसका concept approval तथा परियोजना की मानिटरिंग का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। प्रशासकीय विभाग के उत्तरदायित्वों का विवरण निम्नवत् है:-

1. परियोजना की डी.पी.आर. को ई.पी.सी. मिशन के माध्यम से तैयार करवाना।
2. ई.पी.सी. मिशन द्वारा गठित डी.पी.आर. को विभागीय मानकों के आधार पर विधीक्षित करना।
3. परियोजना की डी.पी.आर. का concept approval ई.पी.सी. की गवर्निंग बॉडी से कराया जाना।
4. परियोजना की डी.पी.आर. के concept approval के पश्चात ई.पी.सी. के माध्यम से परियोजना के औचित्य का मूल्यांकन एवं परीक्षण व्यय वित्त समिति द्वारा कराया जाना।
5. परियोजना के सक्षम अनुमोदन के पश्चात् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना।
6. विभागीय मानकों के अनुसार परियोजना की गुणवत्ता की ई.पी.सी. मिशन के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने तक मानिटरिंग।
7. ई.पी.सी. मिशन / कान्ट्रेक्टर को हस्तगत कराये जाने हेतु समस्त भार से मुक्त भूमि का अधिग्रहण।
8. प्रशासकीय विभाग, समस्त प्रकार की वैधानिक अनापत्तियाँ जैसे कि पर्यावरण, वन सम्बन्धी अनापत्तियाँ तथा पी.एम.सी. एवं कान्ट्रेक्टर को सहयोग अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित विभागों का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(19) ई.पी.सी. मोड में शासकीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था में पूर्व की भाँति Fund Flow के लिये मण्डल स्तर पर गठित लोक निर्माण विभाग की भवन प्रखण्ड (Building Division) की DCL प्रणाली का उपयोग किया जायेगा।

.....5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या: 24/2022/बी-2-218(1)/दस-2022-एम-3/2019, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र., लखनऊ।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।